न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—307 / 2020(जीसीएमएस नं. 2020 / 00134)

1. धौलाराम पुत्र श्री शंकरलाल, जाति माली निवासी गुढ़ा तहसील उदयपुरवाटी हाल निवास बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. **श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 19.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2007 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब देही में यह कहा गया था कि जिस भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जा रहा है उस भूमि पर अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज है जो लगभग 25 साल से निरन्तर चला आ रहा है इसके अलावे अपीलान्ट के पास रहने के लिऐ और कोई जगह नही है और अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कोई गौर नही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत की गई थी किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा भी प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2007 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की उक्त कब्जेशुदा भूमि सड़क के नजदीक होने से कारण कई भू माफिया अपीलान्ट को इस जगह से बेदखल करवाकर कब्जा करने की फिराक में है इसलिये अपीलान्ट को परेशान करने के लिऐ बार—बार झूॅठी शिकायतें करके समय—समय पर यह नोटिस दिलवाते रहते है जिस बाबत अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अवगत भी कराया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2007 को अपास्त फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त

P.T.O.

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी ग्राम बबाई के खसरा नम्बर 119 में से 0.06 हैक्टयर भूमि गैर मुमकीन रड़ा पर पत्थर छप्पर, पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिसकी पुष्टि निरीक्षक भू अभिलेख की जॉच रिपोर्ट से भी होती है तथा अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा अथवा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में अपना स्वामित्व होने के सम्बन्ध कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी ही है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मददेनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2007 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2007 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर।
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/1/23
संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर।
जयपुर